षोडश माला, खंड 12, अंक 17 **गुरुवार, 13 अगस्त, 2015**

22 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 12 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

ममता केमवाल

संयुक्त सचिव

अमर सिंह

निदेशक

इंदु बक्शी

संयुक्त निदेशक

अजय शर्मा

संपादक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिंदी संस्करण का अनुवाद कृत्रि मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिंदी संस्करण में सम्मिलित मूल हिंदी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिंदी अनवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखिए ।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 17, गुरुवार, 13 अगस्त, 2015 / 22 श्रावण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	13- 43
*तारांकित प्रश्न संख्या 343 से 347	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	44
तारांकित प्रश्न संख्या 348 से 362	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 45-70

राज्य सभा से संदेश 71

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 72
कार्यवाही सारांश

प्राक्कलन समिति 72
नौवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति 73
21वें से 24वां प्रतिवेदन

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 74
चौथा प्रतिवेदन

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति 74
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति 75
10वां और 11वां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति 76
सातवां प्रतिवेदन

रेल संबंधी स्थायी समिति 76-77
विवरण

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति 77

270वां प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 78-79

11वें से 16वां प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति 79

88वां प्रतिवेदन

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 81-85

(एक) जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

सुश्री उमा भारती 81

(दो) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। 81-82

श्री पीयूष गोयल

(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत व्यापार संवर्धन संगठन का कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 114वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

संबंधी समिति के 116वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती निर्मला सीतारमण 82

(चार) परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 211वें और 216वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. महेश शर्मा

82-83

सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित

(एक) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 84

(दो) भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015 85

नियम 377 के अधीन मामले 86-101

(एक) मामलों के त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. चौधरी 86-87

(दो) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 88

(तीन) मैट्रिमोनियल वेबसाईट्स के लिए नियम एवं विनियम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री डी. एस. राठौड़ 89

(चार) राजस्थान में विशेष रूप से सीकर, झुन्झुनू और चुरू जिलों में बावड़ियों का पुनरूद्धार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती 90

(पांच) देश में सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित करने हेतु श्रमोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र पर पर्याप्त बल देते हुए आर्थिक नीति पर पुन: ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री लल्लू सिंह 91

(छह) उत्तराखंड के टिहरी जिले में डोबरा-चॉटी पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह 92

(सात) राजस्थान के कोटा शहर में कुकिंग गैस की आपूर्ति हेतु पाईपलाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री ओम बिरला 93

(आठ) सफाई के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया 94

(नौ) सीतापुर और बहराइच को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने और इस प्रयोजन हेतु धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश वर्मा 95

(दस) वसई नगरपालिका क्षेत्र में पाईप गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा 96

(ग्यारह) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती आर. वनरोजा 97

(बारह) मुल्लापेरियार बांध में जल स्तर बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री के. एन. रामचन्द्रन 98

(तेरह) मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम 19वीं सदी के मुम्बई के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद, श्री जगन्नाथ शंकरशेट के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता

श्री राहुल शेवाले 99

(चौदह) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 50 और 56 में विसंगतियों को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री जैदेव गल्ला 100-101

विदाई संबंधी उल्लेख 103-106

राष्ट्रगीत 106

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 13 अगस्त, 2015 / 22 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण मुझे सर्वश्री राजेश रंजन, एन.के. प्रेमचन्द्रन, प्रेम सिंह चन्दूमाजरा, जयप्रकाश नारायण यादव, पी. करुणाकरण, डॉ. ए. सम्पत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, वेणुगोपाल, दीपेन्द्र सिंह हुड्डा आदि बाकी सभी सदस्यों से स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये अलग-अलग विषयों पर हैं। मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके लिए आज के कार्य में व्यवधान डालना आनिवार्य नहीं है। कुछ मामले स्टेट के मैटर्स भी हैं। ये मामले अन्य उपायों के माध्यम से उठाये जा सकते हैं, अतः मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा में प्रश्न काल शुरू होगा।

प्रश्न संख्या 343

… (*व्यवधान*)

(प्रश्न 343)

श्री शिवकुमार उदासी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आई.आई.टी., दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजनाओं में खाना पकाने के लिए 400 सामुदायिक स्तर पर उपयोग किए जाने वालेचूल्हों के क्षेत्र प्रदर्शन मूल्यांकन से पता चला है कि पारंपरिक चूल्हे की तुलना में ईंधन की खपत में 40 से 60प्रतिशत की कमी, उत्सर्जन में 60 से 70 प्रतिशत की कमी और खाना पकाने के समय में 10 से 30 प्रतिशत की बचत हुई है। ...(*व्यवधान*)

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्षः श्री रवनीत सिंह, आप यहां नहीं आयेंगे।

… (*व्यवधान*)

श्री शिवकुमार उदासी: इसलिए इस पृष्ठभूमि में, बायोमास बिजली उत्पादन पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। हम देख रहे हैं कि सौर और पवन नवीकरणीय ऊर्जा पर काफी जोर दिया जा रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2022 तक, सौर ऊर्जा का उत्पादन लगभग 99,533 मेगावाट होगा और पवन ऊर्जा का उत्पादन लगभग 60,000 मेगावाट होगा लेकिन बायोमास ऊर्जा उत्पादन केवल 10,000 मेगावाट होगा। ...(*व्यवधान*)

इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बायोमास और लघु सौर प्रणालियों के बारे में जानना चाहूंगा, जो इस उद्देश्य को पूर्णतः पूरा करते हैं। ये प्रणालियाँ मूल रूप से गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करती हैं। केंद्रीकृत प्रणाली कॉर्पोरेट जगत के उद्देश्य को पूरा करती है।... (*व्यवधान*)

केंद्रीकृत ग्रिड प्रणाली और विकेंद्रीकृत ऑफ-ग्रिड प्रणाली के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यय का अनुपात क्या है? ...(*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बहुत चिंता दिखाई है, विशेष रूप से छोटी प्रणालियों के लिए, जो जैव-गैस, जैव-मास और जैव-अधिकार हैं। ये प्रणालियाँ विशेषकर गाँवों में महिलाओं को खाना पकाने में मदद करती हैं। ये भारत के सुदूर क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। ...(*व्यवधान*)

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली यह सरकार पूरे देश में हर घर तक 24X7 बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री रवनीत सिंह, कृपया मंत्री जी को बाधित न करें।

… (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: इस दिशा में, इस सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसा कि सुझाव दिया जा रहा है, बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा को कॉरपोरेट के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर दिन के समय पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत के गांव, भारत के किसान, बिजली पाने के हकदार हैं जिससे वे पिछले 68 वर्षों से वंचित हैं। इन सभी प्रणालियों से अंततः भारत के निर्धन लोगों की सेवा में मदद होगी। ...(*व्यवधान*)

उन्नत चूल्हा कार्यक्रम जो हमने हाल ही में शुरू किया है, बायो-गैस परिवार प्रकार के खाना पकाने के मॉड्यूल, बायो-गैस गैसीफायर, सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर, ये सभी परियोजनाएं पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं। महोदया, 10,000 मेगावाट कोई सीमित कारक नहीं है। यह एक केवल आकांक्षी लक्ष्य है। यह सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने तथा ऐसे और भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

… (*व्यवधान*)

श्री शिवकुमार उदासी: महोदया, मैं जैव-ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रति माननीय मंत्री की चिंता की सराहना करता हूं। महोदय, जैसा कि आपने कहा, यह अभी पूरी तरह से सक्रीय नहीं हुआ है। एक बार परियोजना चालू हो जाने के बाद हम इसमें सुधार भी कर सकते हैं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न इस प्रकार है। उन्नत देशों में नवीकरणीय ऊर्जा पर काफी शोध किए जा रहे हैं।… (*व्यवधान*) अनुसंधान में सफलता पाने के कारण ही वे नवीकरणीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्रमुख उत्पाद बनाने में सफल हो रहे हैं तथा इसका निर्यात कर रहे हैं।... (*व्यवधान*) सरकार, नवीकरणीय क्षेत्र मेंअनुसंधान और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिल सके? मैं माननीय मंत्री से इसके बारे में जानना चाहूंगा।

श्री पीयूष गोयल: महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य को इसकी चिंता है कि हमें अनुसंधान और विकास के क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में, सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को मार्गदर्शन दिया है कि अनुसंधान, नवाचार के लिए भारत को दुनिया का अनुसरण नहीं करना चाहिए; बल्कि अब समय आ गया है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करना शुरू करे।... (*व्यवधान*) इसी को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि अनुसंधान के लिए बजट बनाने की बजाय अब हमें भारत में नवीन उत्पादों को विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान तथा कई सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा संचालित कई अन्य पहलों के माध्यम से अनुसंधान के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की हैं। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान सौर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को विकसित करने के हमारे प्रयासों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भविष्य में जब ये सभी भंडारण प्रणालियाँ आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाएँगी, तब हम सब और ये यह पृथ्वी पूरी तरह से हरित ऊर्जा ग्रह की ओर आगे बढ़ सकेंगे। ... (*व्यवधान*) इसके अलावा, हम सौर तापीय संयंत्र के क्षेत्र में भी कार्य रहे हैं जो सौर ऊर्जा के माध्यम से 24 घंटे तक बिजली प्रदान करेंगे, इसके अलावा हम सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दे रहे हैं।... (*व्यवधान*) अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि अनुसंधान, विकास और नवाचार हमारे भावी प्रयासों का आधार हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोगों का आचरण बहुत ही अमर्यादित है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप स्टेट के मैटर को यहां रेज़ नहीं कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री आलोक संजर: महोदया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई है।... (व्यवधान) खास तौर से, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लगाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो संयंत्र सरकारी सब्सिडी से लगाए जाते हैं, उनमें प्रायः देखा जाता है कि जो संयंत्र खराब हो जाते हैं, उनका रख-रखाव ठीक से नहीं हो पाता है।... (व्यवधान) इसके लिए क्या प्रावधान है? ... (व्यवधान)

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में नए संयंत्रों को लगाने के लिए क्या सरकार ने कोई प्रावधान किया है? ... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल :अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बधाई दूंगा, जिन्होंने गत वर्षों में विद्युतीकरण, और खास तौर से नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है। मध्य प्रदेश आज देश में बहुत ही तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दे रहा है।... (व्यवधान) आप कोई भी आंकड़े निकाल लीजिए, जितने गांवों में बायोगैस प्लांट्स लगे हैं, अगर आप उनके आंकड़े देखिए गे तो मध्य प्रदेश में गत तीन, सवा तीन वर्षों में 12,207 गांवों में बायोगैस प्लांट्स लगे हैं, जो देश में दूसरे नम्बर पर हैं।... (व्यवधान) इसी प्रकार से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हर क्षेत्र में सोलर प्लांट्स को तेजी से प्रोत्साहन देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं।... (व्यवधान)

महोदया, हमने यह अहसास किया है कि गत वर्षों में जो प्लांट्स लगे थे, उन सरकारों ने आगे के रिपेयर, मेंटनेंस, वारंटी इत्यादि पर विशेष ध्यान नहीं दिया।... (व्यवधान) अब हम जितने भी सोलर और रिन्यूएबल इंस्टॉलेशंस लगाएंगे, उसमें पांच वर्षों की वारंटी होगी, जिसमें रिपेयर, मेंटनेंस या रिप्लेसमेंट मुफ्त हो, ऐसा प्रावधान किया जा रहा है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी. गोपालकृष्णन: महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले, मैं अपनी प्रिय नेता पुराची थलाइवी अम्मा को नमस्कार करता हूं। ...(*व्यवधान*) मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। हमें यह समझना जरूरी है कि पूरे देश में ईंधन के लिए लकड़ियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं करा रही है। हमारे नेता ने मिट्टी के तेल को तत्काल जारी करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी पत्र लिखा है।

इन परिस्थितियों में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजना है?

श्री पीयूष गोयल: मिट्टी के तेल की आपूर्ति मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है लेकिन मैं सरकार की ओर से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि मिट्टी के तेल के लिए पात्र व्यक्ति को उनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त मिट्टी के तेल से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत, यह सरकार रसोई गैस या बिजली के माध्यम से ऊर्जा पहुंच की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है ताकि आने वाले समय में हम मिट्टी के तेल की आवश्यकता को खत्म कर सकें जो कि भारत के लोगों के लिए अपने आप में काफी हानिकारक है।

साथ ही, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, हम इस बात को लेकर सचेत हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए, हमने ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं जिससे पर्वतीय क्षेत्रों को अतिरिक्त सब्सिडी प्राप्त हो। हमें पहाड़ी क्षेत्रों में घरों के लिए सौर प्रकाश कार्यक्रम भी तैयार किया है। साथ ही, खाना पकाने जैसे प्रयोजनों के लिए, हमारे पास परिवार और समुदाय स्तर पर बायो-गैस इकाइयाँ उपलब्ध हैं। हम *उन्नत चूल्हा* कार्यक्रम पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक

महिला, प्रत्येक गृहिणी के पास एक ऐसा छोटा कुकर होगा जो सौर ऊर्जा की मदद से चलेगा और यह उन्हें मिट्टी के तेल की उच्च लागत से भी बचाएगा।

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी : महोदया, मंत्री जी ने बहुत कुछ बताया है। मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ अभी तक 65 प्रतिशत गाँवों में ही बिजली पहुँच पाई है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जैसे मेरा पिछड़ा एरिया नबरंगपुर कांस्टीट्यूएंसी और नबरंगपुर जिला है, वहाँ पर क्या व्यापक मात्रा में सोलर एनर्जी से गाँवों का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है? ...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल :महोदया, माननीय सदस्य ने ओडिशा का जिक्र किया। वैसे तो विद्युतीकरण करना और गाँव में बिजली लेकर जाना, यह राज्य का सब्जेक्ट है और जो स्टेट गवर्नमेंट इतने वर्षों से वहाँ काम कर रही है, उसने 35 प्रतिशत गाँवों में बिजली क्यों नहीं पहुँचाई, यह तो वास्तव में वह राज्य सरकार ही बता पाएगी। ...(व्यवधान) वस्तु स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार चाहती है कि पूरे देश में हर घर में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता हो। उसी के लिए हमने दो नए कार्यक्रम दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटिड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम लाँच की है। ...(व्यवधान) ओडिशा से भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमें दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्कीम्स मिलें, जिन्हें हम तेजी से एप्रूव करके सहायता दें, जिससे राज्य सरकार पूरे प्रदेश में इन 65 प्रतिशत गाँवों, जिनको विद्युतीकरण से वंचित रखा गया है गत इतने वर्षों में, उनको हम पूरे तरीके से बिजली दे सकें। ...(व्यवधान) साथ ही साथ जो उनका डिस्ट्रिक है, जो उनका क्षेत्र है, उसमें सोलर प्लांट भी 12 स्कूलों में सैंक्शन किए गए। अगर माननीय सदस्य कुछ और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपने गाँव से नई स्कीम्स लाते हैं, तो केन्द्रीय सरकार उस पर पूरी तरीके से विचार करेगी। ...(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदया, मैं दीनदयाल ज्योति योजना को विशेष तरीके से संचालित करने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ...(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां ग्रामीण क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं अब तक पूरे देश में सवारधिक 12,260 स्थापित की जा चुकी हैं। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे आधिक आवश्यकता है, कौन सा ऐसा ऐसा कारण है कि विगत तीन वर्षों में और वर्ष 2015-16 में तो बीपीजीपी के अंतर्गत एक भी परियोजना नहीं लगी? ...(व्यवधान) वह कौन सा ऐसा कारण है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार उदासीनता बरत रही है या कोई अन्य कारण है या क्या केन्द्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में रूचि नहीं दिखा रही है? अब तक विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में मात्र 903 परियोजनायें ही लग पाईं, इसके पीछे क्या कारण हैं? ...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदया, सम्माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है।...(व्यवधान) जैसा मैंने पहले कहा है कि यह राज्य सरकार का विषय है।...(व्यवधान) केन्द्र सरकार कभी इसमें भेदभाव नहीं करती है।...(व्यवधान) जैसे-जैसे राज्य सरकारें पहल करती हैं, ...(व्यवधान) जैसे-जैसे राज्य सरकारें हमारे पास योजनायें भेजती हैं, उसी तेजी के साथ हम उनकी योजनाओं को स्वीकृत करते हैं, उन्हें सहायता देते हैं।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो प्रोएक्टिव्ली सामने से आकर नयी-नयी योजनाओं में भाग लेता है और जैसा कि उसी के तहत मैंने कहा है कि सवा तीन वर्षों में 12,207 गांवों में बायोगैस प्लांट्स इंस्टॉल हुए हैं।...(व्यवधान) इसी दौरान उत्तरप्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें मात्र 210, 244, 253 और 196 इतने ही गांवों में हमारे पास सोलर गैस प्लांट्स लगाने के लिए स्कीम्स आयी हैं, जिनको हमने सहायता दी है।...(व्यवधान) वैसे उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम की हालत बहुत खस्ता है, वह बहुत तकलीफ में है।...(व्यवधान) हम बार-बार उत्तर प्रदेश से चर्चा करते हैं।...(व्यवधान) मैं भी लखनऊ जाकर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूं। ...(व्यवधान) मैंने नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें कई सुझाव

दिए हैं।...(व्यवधान) हम चाहेंगे कि सभी सांसदगण वहां से और योजनायें भेजें, जिन्हें हम सहायता दे सकें।...(व्यवधान) राज्य सरकार पर भी उनके लिए जोर लगाएं।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि अब समय आया है कि देश में हरेक को ऊर्जा मिले।...(व्यवधान) हमारे उत्तर प्रदेश के भाई-बहन ऊर्जा से वंचित हैं, उनके लिए हमें बहुत चिंता है।...(व्यवधान) हमारा पूरा विश्वास है कि केन्द्र सरकार की योजनाओं से वहां पर लाभ पहुंचेगा।...(व्यवधान) केन्द्र सरकार उनके लिए पूरा जोर लगायेगी, लेकिन राज्य सरकार को भी उसमें सहभागी होना पड़ेगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अगर आप चाहें तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगी। आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, लेकिन यहां नहीं।

… *(व्यवधान)*

(प्रश्न 344)

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: अध्यक्ष महोदया, मैं पहले माननीय नितिन गडकरी जी और राज्न्य मंत्री जी को उत्तराखंड की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) जो धुंध पड़ी योजनायें थीं और उपेक्षा का दंश झेल रही थीं, इस सरकार के आने के बाद उन योजनाओं में गति आयी है।...(व्यवधान) इसलिए मैं मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूं।...(व्यवधान) मेरा मूल प्रश्न यह था कि भूमि आधिग्रहण में विलम्ब हो रहा है और उस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है...(व्यवधान) उसमें मेरा मूल विषय यह है कि उत्तराखंड में केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग आधियनिम, 1956 की धारा (3) के अंतर्गत जिन योजनाओं के लिए भूमि आधिग्रहित होनी थी, उनमें से कितनी परियोजनायें ऐसी हैं जिनके लिए कितने वर्षों से अभी

तक भूमि का आधिग्रहण नहीं हो सका है?...(व्यवधान) जिन योजनाओं में काम भी हो रहा है, जिस एक्ट का माननीय मंत्री जी ने संदर्भ दिया है, उस एक्ट का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हो रहा है।...(व्यवधान) यदि मंत्री जी को यह मालूम है कि विशेष एन.एच. और केन्द्रीय सहायता के तहत जो बल्लूपुर, बल्लीवाला, जोगीवाला, भंडारीबाग, आई.एस.बी.टी. समेत तमाम पुल और जो परियोजनायें हैं, उनमें उस एक्ट का जो दुरुपयोग हुआ है, यदि यह उनकी जानकारी में है तो उन आधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुयी है? ...(व्यवधान) यदि उन्हें यह जानकारी नहीं है तो कब तक इन समस्त परियोजनाओं की जांच करके मंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। ... (*व्यवधान*) कनेक्टिविटी की आवश्यकता, उद्योग की प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य शुरू किए जाते हैं। ... (*व्यवधान*) भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ...(*व्यवधान*) पिछले तीन वर्षों में, हमने 23,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया है और जिसके लिए हमने मुआवजे के रूप में 22,295 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। ...(*व्यवधान*) उत्तराखंड राज्य में 2,086 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने के लिए तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और 2,033 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 3डी अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।... (*व्यवधान*) 450 हेक्टेयर जमीन पर कब्ज़ा कर लिया गया है। ...(*व्यवधान*) यदि किसी विशेष अधिकारी के बारे में कोई विशेष शिकायत है तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में उत्तराखंड के लिए भूमि अर्जन का मुआवजा 22,241 करोड़ रुपये जारी हुआ था, ...(व्यवधान) पिछले तीन वर्षों में मुआवजे की जारी राशि में से कितना मुआवजा राज्य सरकार ने दिया है

...(व्यवधान) और यदि नहीं दिया तो क्यों? ...(व्यवधान) उत्तराखंड सामरिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दो विदेशी सीमाओं से दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान) चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदरानाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, हेमकुंड और कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार की कोई योजना है, ...(व्यवधान) यदि है तो उसका ब्योरा क्या है और यह कब तक लागू होगी ?

[अनुवाद]

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, हाल ही में हुई बारिश के कारण चार धाम की ओर जाने वाले पांच महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ...(*व्यवधान*) दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के लिए आवश्यक सुधार को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में आने वाली बारिश और बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इन क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को ठीक बनाए रखने के लिए काफी सुधार करने की आवश्यकता है।... (*व्यवधान*) इस तरह के सुधारों को करने के लिए, वैकल्पिक संरेखण की पहचान करने, उच्च स्तरीय और लंबे पुलों सहित कमजोर पहाड़ी ढलानों के स्थिरीकरण और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए व्यापक डिजाइन अध्ययन की आवश्यकता है। ...(*व्यवधान*) इसके संबंध में इस्तेमाल होने वाली धनराशि के लिए हम माननीय सदस्य को विवरण प्रस्तुत करेंगे। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रहलाद सिंह पटेल *जी*.

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: केवल प्रश्न और उत्तर ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अलावा, अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)...*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मि लत नहीं कया गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, हम इसके विरोध में वॉक आऊट करते हैं... (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.23 बजे</u>

इस समय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मेरा प्रश्न पूर्वोत्तर को लेकर है, ...(व्यवधान) मणिपुर में दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ...(व्यवधान) पहले राजमार्ग को आतंकवादियों के कारण कई बार बंद कर देना पड़ता है। ...(व्यवधान) इम्फाल में गैस की कीमतें तीन-चार हजार रुपये होती हैं, ...(व्यवधान) दूसरे रास्ते में चार बड़े पुल हैं जिसमें मणिपुर का नाम नहीं है। ...(व्यवधान) वहां की राज्य सरकार इस बात को लेकर गंभीर नहीं है, ...(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ...(व्यवधान) आप मुआवजे की राशि देने के लिए तैयार हैं अगर राज्य सरकार उसे लेने और बांटने के लिए तैयार नहीं है, ...(व्यवधान) मणिपुर का दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें पुल हैं और अपेक्षाकृत शांत रास्ता है, ...(व्यवधान) क्या सरकार का प्लान उसे बनाने का है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम सभा से वॉक आऊट करते हैं ...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.24 बजे</u>

तत्पश्चात, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री जय प्रकाश नारायण यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, सरकार सभी प्रभावित क्षेत्रों में कार्य पूरा करने के लिए सभी उचित कदम उठा रही है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में, हम वहां कार्यों को पूरा करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री प्रहलाद जोशी: धन्यवाद, महोदया। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर, हुबली और होसपेट के बीच के हिस्से को 4 अक्टूबर, 2012 को चार-लेन के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन, जहां तक भूमि

अधिग्रहण और कार्य की प्रगति का संबद्ध है, यह बहुत धीमी गति पर चल रहा है। मैं निःसंदेह यह कह सकता हूं कि श्री नितिन गडकरी जी के कार्यभार संभालने के बाद चीजों में सुधार हुआ है। लेकिन यह मार्ग हुबली और होसपेट के बीच मुख्य संपर्क मार्ग है जो होसपेट, हुबली और बेल्लारी जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। लोहा अयस्क परिवहन वहां एक बड़ा कारोबार है। इसलिए भूमि अधिग्रहण और इसे चार लेन में परिवर्तित करने के काम में तेजी लानी होगी। ...(*व्यवधान*)

इसीलिए, महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हुबली और होस्पेट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर भूमि अधिग्रहण और इसे दो-लेन से चार-लेन का काम कैसा चल रहा है। धन्यवाद, महोदया। ... (*व्यवधान*)

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, हम राष्ट्रीय राजमार्ग 63 की आवश्यकता को समझते हैं। हम भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत सजग हैं और हम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं। ...(*व्यवधान*) दुर्भाग्यवश, राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण में हमारा सहयोग नहीं कर रही हैं। लेकिन हम इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने ही वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लैंड एक्वीजिशन के प्रौसैस के बारे में बताया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजिशन की कार्रवाई होने के बाद नैशनल हाईवे के कुछ प्रौजेक्ट्स के टेक्नीकल बीड, फाइनेंशियल बीड, स्टेट एप्रूवल और वर्क अवार्ड आदि होने के बाद भी उन्हें एनजीटी, यानी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टे कर दिया। इस कारण नैशनल हाईवे के उन प्रौजेक्ट्स का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा। इसी तरह के नैशनल हाईवे नंबर 233, जो नेपाल के ककरवाहा से लेकर वाराणसी तक हैं, नैशनल हाइवे नंबर 730 या इसी तरह के और प्रोजेक्ट हैं, [अनुवाद] क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि एन.जी.टी. ने एन.एच.ए.आई. की कुछ

परियोजनाओं पर रोक लगा दी है? यदि आपको जानकारी है तो बताएं कि वे इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं और इसका समाधान कैसे किया जाएगा?

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कुछ मामले लंबित हैं। हम राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के संबंध में माननीय सदस्य जी को निश्चित समय के भीतर विवरण उपलब्ध करा देंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 345 - श्री धर्मेन्द्र यादव जी। वे वहां नहीं हैं।

श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव।

(प्रश्न 345)

श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव: महोदया, सरकार ने कपड़ा इकाइयों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए नई आई.पी.डी.एस. योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2013 में 500 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली आई.पी.डी.एस. को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत चार से छह ब्राउन-फील्ड परियोजनाओं और तीन से पांच ग्रीन-फील्ड परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन सब के बावजूद, भारतीय कपड़ा उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण के अनुकूल नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं या भविष्य में इसके संबंध में क्या करने का प्रस्ताव है। यह देश में कपड़ा उद्योग के सामने आने वाली प्रमुख समस्या है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि वर्ष 2010 में तिरूपुर, नोय्याल नदी में काफी पॉल्यूशन होने से सबको चिंता हो गयी और करीब 800 यूनिट्स बंद हो गयीं। इस बारे में चिंता करके हल निकाला गया। उस हल के तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक नयी योजना बनायी गयी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। यह भी कहा गया कि आईपीडीसी स्कीम के तहत एक नयी प्रक्रिया अपनायी जाये और उसके तहत काम किया जाये।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले दो वर्षों, यानी वर्ष 2012 और 2013 में इस योजना का क्रियान्वयन जिस ढंग से होना चाहिए था, उस ढंग से नहीं हो पाया। इस कारण किसी भी यूनिट को उस

संदर्भ में सहायता नहीं मिल पायी। नयी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने इस दिशा में चिंता की और उस हिसाब से प्रयास किये। हमने जब विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव मांगे, तो करीब ग्यारह प्रस्ताव हमारे पास आये। इस समय तक एक प्रस्ताव बालोत्रा में ऐसा मिला है जो पूर्ण रूप से कम्पलीट था। इसके लिए हमने धन स्वीकृत कर दिया है। मैं आपके माध्यम से चिंता के साथ कहना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में जिस प्रकार का प्रदूषण है, उसका हल होना बहुत जरूरी है। हम यह भी जानते हैं कि इसमें पैसे का इन्वाल्वमेंट ज्यादा होता है इसलिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें 50 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार, 25 प्रतिशत राज्य सरकार और 25 प्रतिशत संबंधित पार्टी को व्यय करना है। इसमें विशेष बात यह है कि राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर 25 प्रतिशत अंश की स्वीकृति के साथ भेजना है। अभी तक केवल एक प्रस्ताव आया है और उसे स्वीकृत कर दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से विभिन्न राज्यों से कहना चाहता हूं कि वे इस काम में रुचि लें। 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमें जो धन मिला था, पहले दो वर्षों में इस्तेमाल न होने के कारण धन का एमाउंट वापस हो गया। अब हमारे पास धन कम है और हम इसका पूरा उपयोग करना चाहते हैं। हमने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी प्रस्ताव भेजें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी आदरणीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, केवल राजस्थान सरकार ने इस पर चिंता की और सबसे ज्यादा प्रस्ताव भेजे हैं। अभी यहां माननीय सदस्य धर्मेन्द्र यादव जी नहीं हैं, यह उनका सवाल था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। गंगा प्रदूषण की बात चल रही है, नदी की सफाई की बात चली है, इसके किनारे पर कई स्थान हैं, जहां प्रदूषण हो रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है इस प्रदूषण को दूर किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार रुचि ले क्योंकि केंद्र सरकार पूरा सहयोग और मदद करने को तैयार है।

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव: महोदया, एक समय पहले मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। [हिन्दी] आज की तरीख में सबसे पुराना इतिहास मुम्बई शहर में टैक्सटाइल मिलों का है लेकिन इसके बावजूद भी मुम्बई की तरफ ध्यान नही दिया जा रहा है। जहां तक मुझे मालूम है, आईपीडीएस स्कीम में मुम्बई की टैक्सटाइल मिलों पर 500 करोड़ रुपए में से एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। मुम्बई की मिलों की प्रापर्टी अच्छी है, प्राइम लोकेशन पर है, क्या सरकार का रवैया यह है कि प्रापर्टी बेच दी जाए और उनकी जगह कमर्शियल टावर, कॉम्पलेक्स खड़े कर दिए जाएं? आईपीडीएस स्कीम में सरकार का मुख्य मुद्दा रिवाइवल पैकेज है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार एन्वार्यनमेंटली फ्री, रिवर क्लीनिंग, इफ्लुएंट वाटर आदि प्रोग्राम बनाकर खासकर मुम्बई के बारे में कुछ सोचेगी?

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी रुचि है। हम मानते हैं कि इस दिशा में महाराष्ट्र सक्रिय स्थान है, जहां उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी, इच्छलकरंजी और शोलापुर तीन स्थान हैं, जो इस रूप में जाने जाते हैं।अभी राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। हम प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार से संपर्क करके जो भी आवश्यक हो, भेजें, हम अवश्य उस पर कार्यवाही करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रोसेसिंग का काम अभी मुम्बई में नहीं है। मुम्बई में और भी बहुत से स्थान हैं, जहां काम हो सकता है, हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, हम इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार से पूछेंगे कि उनकी इसमें क्या रुचि है।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार: महोदया, एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना 12वीं पाँचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। 12वीं पाँचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं और केवल दो ही वर्ष शेष बचे हैं। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि अब तक केवल एक राज्य ने ही प्रस्ताव भेजा है। अतः महोदया, छोटी और बड़ी इकाइयों के बीच भेदभाव देखा जा रहा है। योजना के अनुसार, शून्य तरल उत्सर्जन के अंतर्गत 75 करोड़ रुपये तक की अधिकतम सीमा वाली परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।

लेकिन हमारे देश में कई छोटी-छोटी इकाइयां मौजूद हैं। जहां तक मेरे राज्य तेलंगाना की छोटी इकाइयों का संबंध है, हमारे यहाँ सिरसिला, वारंगल, पोचमपल्ली, गडवाल और कुछ अन्य शहरों में भी छोटी कपड़ा इकाइयां हैं। लेकिन पर्यावरणीय समस्याओं के नाम पर अधिकारी इन छोटी इकाइयों पर नज़र रखे हुए हैं।

महोदया, इतने कड़े दिशा-निर्देश के कारण कोई भी राज्य सरकार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकी है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे दिशानिर्देशों में परिवर्तन करने का सोच रहे हैं तथा क्या वे इसकी समीक्षा कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 500 करोड़ रुपये की उपलब्ध राशि में से आज तक एम.ओ.टी. द्वारा काफी पैसा खर्चा नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम लोगों की रुचि देश के हर हिस्से में उद्योगों के बारे में है। यह प्रश्न सीईटीपी से संबंधित है और इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए नहीं है। आपके क्षेत्र में उद्योग हैं, यह हमारी जानकारी में है और इसमें दूसरी योजनाओं के तहत सहयोग किया जा सकता है। हमें आप इस संदर्भ में अगर कुछ लिखकर देंगे तो हम उसका समाधान करेंगे और जितना सहयोग संभव होगा, उसके हिसाब से मदद करने का काम करेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रोसेसिंग यूनिट्स ज्यादा हैं। अभी मंत्री जी ने भीलवाड़ा दौरा किया था। वहां प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट बनाकर जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार इंडस्ट्री शेयर करे, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है? क्या भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना सकता है? वहां पर्यावरण की समस्या है। वहां करीब 24 प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रही हैं और जितना पानी का कंजम्पशन डोमेस्टिक है, उतना ही इंडस्ट्रीयल कंजम्पशन भी है। क्या भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय अपना कोई प्रोजेक्ट बनाकर क्या सबको कह सकता है कि इसमें शेयर करें और उस हिसाब से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो?

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी जो सीईपीटी स्कीम है, उसके अंतर्गत अगर राज्य सरकार संस्तुति करती है और उसका प्रदूषण बोर्ड उसे क्लीयर करता है तथा 25 परसेंट मदद की बात करते हैं तो केंद्र सरकार इसमें पचास प्रतिशत मदद की बात कहती है और उसे स्वीकृत करती है। इस योजना को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब राज्य सरकार संस्तुति के साथ इसे केंद्र के पास भेजे। जो पहली योजना हमने इसके अंतर्गत स्वीकृत की है, जैसा मैंने बताया कि वह राजस्थान की ही है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि राजस्थान की इस क्षेत्र में रुचि है और रुचि से वे हमारे साथ इस काम में जुड़े हैं तथा हमारे साथ सम्पर्क में हैं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2012 में शुरू हुई थी। पहले दो वर्षों में इस पर कोई अमल नहीं हुआ और इस कारण इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी और उसके बाद काम शुरू हुआ। लेकिन इसमें दुख की बात यह रही कि हमारे पहले दो वर्षों का पैसा वापिस हो गया। हम इसे उस चिंता में नहीं ले रहे हैं बल्कि जो भी हमारी आवश्यकता होगी उसे हम करेंगे और इसे सही ढंग से आने वाले वर्षों में सही प्रकार से आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि राजस्थान इसमें रुचि ले रहा है और जैसा माननीय सदस्य

बता रहे थे, मैं जब गया तो मुझे लगा कि वास्तव में राजस्थान को अच्छे ढंग से टैक्सटाइल के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित किया जा सकता है और इसमें हम जो भी संभव मदद होगी, वह करने के लिए तैयार हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष जी, मैं जोधपुर क्षेत्र से आता हूं और जोधपुर तथा बालोतरा दोनों कपड़ा बनने के बाद उसकी प्रिंटिंग के हब हैं। जोधपुर और बालोतरा क्षेत्र में जो प्रिंटिंग के व्यवसायी हैं, वे बहुत छोटे-छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, जिनका साल का टर्न ओवर एक-आध करोड़ रुपए का होता है और बहुत छोटी यूनिट्स हाथ से प्रिंटिंग करने की हैं। वे बहुत छोटी मशीनों से प्रिंटिंग करने के उद्योग चलाते हैं। उनका प्रिंटिंग करने का जो अवशेष निकलता है, उस पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए प्लांट लगाने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी करके ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, बालोतरा में 450 इंडस्ट्रीज को और जोधपुर में लगभग 200 इंडस्ट्रीज को बंद करा दिया है। छोटे उद्योगपति इस कपैसिटी में नहीं हैं कि वे इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उनके विभाग में कोई ऐसी योजना लाने का विचार है ताकि ऐसे छोटे उद्योगपतियों, जो प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं और हिन्दुस्तान के एक्सपोर्ट ट्रेड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, को मदद दी जा सके। ठीक इसी तरह की इंडस्ट्री राजस्थान के सांगानेर और बघरू में भी हैं। क्या इन छोटे-छोटे उद्योग करने वाले लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आप किसी तरह की योजना लाने वाले हैं ताकि प्रधानमंत्री जी का एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेन्देन करने का सपना भी पूरा हो सके और साथ ही साथ "मेक इन इंडिया" का सपना भी पूरा हो सके। विदेशी मुद्रा कमाने वाली ऐसी कंपनियों की छोटी फैक्ट्रियों को सहायता देने के लिए आपकी क्या योजना है और हम किस तरह की अपेक्षा आपसे कर सकते हैं?

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा कि हमारी आईपीडीएस की योजना इसी के लिए है। हम छोटे उद्योगों को कलस्टर के रूप में मदद करना चाहते हैं। माननीय सदस्य को हमारा सुझाव है कि उस क्षेत्र के जितने भी छोटे-छोटे यूनिट्स हैं,

यदि वे मिलकर एक कलस्टर बनाते हैं और राज्य सरकार उसकी संस्तुति करती है, तो हम इसमें सहयोग करते हैं। हम भी जानते हैं कि इस काम में ज्यादा धनराशि व्यय होती है और एक छोटा यूनिट इस काम में राशि खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन, एक कलस्टर बनाकर और राज्य सरकार की रुचि के साथ इस काम को हम अच्छे ढंग से आगे ले जाने का काम कर सकते हैं।

वास्तव में, वस्त्र मंत्रालय और कपड़ा उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके अंदर बहुत प्रदूषण होता है। जो देश विकसित हो गये हैं, वे अपने यहाँ से हट गये हैं। अब विकासशील देशों के सामने या हम लोगों के सामने इसकी समस्या पैदा होती है। हम इस बात को देख रहे हैं और निरंतर इस चिन्ता में हैं कि कैसे हम इसे सही ढंग से आगे ले जाने की दिशा में काम कर सकें। हम केन्द्र और राज्य सरकारों के सहयोग से ही हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार फिर से उल्लेख करना चाहूंगा कि राजस्थान के उद्यमियों में रुचि है और वे इस काम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। राज्य सरकार से भी मेरी निरंतर बात होती है, उनकी भी रुचि है कि इसमें क्या संभव सहयोग लोगों को किया जाए। मैं माननीय सदस्य को इतना कह सकता हूँ कि छोटे उद्योगों को आगे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कलस्टर बनाकर हम मिलकर जो भी सहयोग कर सकते हैं, उसे करेंगे और इसमें पूरी तरह से मदद करने का काम करेंगे।

(प्रश्न 346)

[अनुवाद]

श्रीमती के. मरगथम: हमारी माननीय मुख्यमंत्री, पुराची थलाइवी अम्मा के बहु-आयामी नेतृत्व में तमिलनाडु की राज्य सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बहुत महत्व दे रही है क्योंकि राज्य के विकास का यही एकमात्र तरीका है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तमिलनाडु को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत पर पांच राष्ट्रीय हाइवे परियोजनाएं प्रदान की हैं और हमें विश्वास है कि ये परियोजनाएं राज्य को एक नए विकास मार्ग पर ले जाएंगी।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उपरोक्त सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जिसमें चेन्नई से लेकर बंगगलुरु तक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना भी शामिल है। यह परियोजना मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांचीपुरम से होकर गुजरती है परंतु इस पर कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, हाल ही में हमने तमिलनाडु में पांच परियोजनाओं की नींव रखी है। उन पांच परियोजनाओं में से मदुरै-रामनाथपुरम परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.4 के संबंध में, मैं माननीय सदस्य की चिंता से पूरी तरह से सहमत हूँ। उक्त कार्य जून, 2013 में शुरू किया गया था परंतु माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर होने के कारण सितंबर, 2013 तक रियायतग्राही ने रखरखाव सहित सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने तत्काल मरम्मत के साथ-साथ भारतीय सड़क कांग्रेस के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा निरीक्षण का निर्देश दिया। निरीक्षण पूरा होने के बाद रियायतग्राही ने रखरखाव का काम शुरू किया और उच्च न्यायालय में उत्तर दाखिल किया गया जिसके आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दी गई।

श्रीमती के. मरगथम : महोदया, मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि ऐसे कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो बढ़ते हुए यातायात की दृष्टि से मजबूत हैं, जहां आधे से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और जिन्हें सरकार नीलाम करना चाहती है तथा इसके लिए सरकार क्या शर्तें रख रही है।

श्री पोन राधाकृष्णन: तमिलनाडु में हम कम यातायात भीड़ होने, मरम्मत कार्यों और अन्य रखरखाव कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।

कन्याकुमारी के राष्ट्रीय राजमार्ग सं 47 और 47ए पर यातायात बहुत अधिक है। करूर-कोयम्बटूर क्षेत्र में भी यातायात बहुत अधिक है। हम करूर और कोयम्बटूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत सड़क का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलाची और कोयम्बटूर के बीच में भी यातायात बहुत अधिक है और इसी को देखते हुए हम इस खंड पर 4-लेन सड़क का निर्माण करने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप : सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस बार उन्होंने रोड्स और ट्रांसपोर्ट के लिए काफी अच्छा बजट दिया है। इसी के अंतर्गत नेशनल हाइवेज के कार्य और हिमाचल प्रदेश में भी नई सड़कें बनाने के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे शिमला पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी में नेशनल हाइवे संख्या 21ए है। इसमें पिंजौर से स्वार घाट तक वाया नालागढ़ फोर लेन वाइडेनिंग का काम हो रहा है। यह काफी दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है। वहां के स्थानीय लोगों ने बार-बार एजिटेशन इसलिए किया कि वह रोड कच्ची होने और कई वर्षों में तोड़फोड होने की वजह से गाड़ियों के चलने पर वहां धुंध उठती है, इससे लोग परेशान हैं। उन लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय विधायक जी ने भी कई बार एजिटेशन किया, फिर उसमें थोड़ी-बहुत हलचल हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय उस पांच किलोमीटर के ट्रैक में जो काम हो रहा है, वह बहुत ही सब-

स्टैंडर्ड हो रहा है, क्या उसकी जांच कराएंगे? ठेकेदार जानबूझकर उस काम में डिले कर रहा है, लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है, बार-बार एनएचएआई के आधिकारी वहां जाकर आश्वासन देकर आते हैं, लेकिन वह काम पूरा नहीं हो रहा है, क्या उसकी जांच कराएंगे और यह कार्य कब तक पूरा होगा?

[अनुवाद]

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, यद्यपि यह प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी हम इससे जुड़ी जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके बी और सी खण्ड में लिखा है कि टोल, ऑपरेट एंड ट्रांसफर पॉलिसी भारत सरकार की है। दुनिया में जहां भी नए एक्सप्रेस वे और हाइवे बनते हैं, वहां टोल लगाए जाते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, जहां पुरानी सड़कों पर कारपेटिंग करके, थोड़ा चौड़ा करके उस पर टोल लगाने का काम करते हैं। अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति अपने साधन से रेवाड़ी से राजधानी चण्डीगढ़ जाकर वापस रेवाड़ी आता है तो उससे 700 रुपये लिए जाते हैं, इसके साथ ही प्रदेश सरकार उससे उसकी गाड़ी पर आठ प्रतिशत रोड टैक्स भी लेती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ऐसी कोई पॉलिसी बना रही है, जिसमें या तो रोड टैक्स में छूट देने का काम किया जाए या जो टोल की दरें हैं, उनको व्यक्ति के हिसाब से, उसकी आमदनी के हिसाब से कम करने की व्यवस्था हो?

[अनुवाद]

श्री पोन राधाकृष्णन: हमने प्रत्येक वर्ष 10,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना तैयार की है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं सुधार के लिए हमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। इस वर्ष भी, हमने 10,000 किलोमीटर के लिए ठेका देने का निर्णय लिया है।

इस परियोजना के अतिरिक्त, 700 किलोमीटर की एक भारत माला परियोजना भी है जिसके लिए 80,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हम राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब तक, 123 जिलों को इससे संबद्ध नहीं किया गया है और इसके लिए भी हमें और अधिक धनराशि की आवश्यकता है। सेतुपदम परियोजना में हमने 350 से अधिक पुलों का निर्माण करने का निर्णय लिया है और इन सभी परियोजनाओं के लिए भी हमें अधिक धनराशि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त,... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला: जो ट्रांसपोर्ट पैलिसी है,**[अनुवाद]**उसमें आप राजमार्गों पर आवागमन करने लोगों से टोल वसूलते हैं।**[हिन्दी]**मैंने यह पूछा था कि जो नए हाइवेज़ हैं, क्या सरकार उन पर टोल लगा रही है या पुरानी सड़कों पर सिर्फ कार्पेट करके टोल लगाने का काम कर रही है?

[अनुवाद]

श्री पोन राधाकृष्णन: यदि पुरानी सड़कों को चार-लेन वाली सड़कों में परिवर्तित किया जा रहा है या ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह चार-लेन की सड़क बनाने का नहीं बल्कि केवल रोड को ढकने का काम किया गया है। वह यही कह रहे हैं।

श्री पोन राधाकृष्णन: यदि मुझे विस्तृत जानकारी मिल सके, तो मैं तदनुसार सूचित करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, यह उचित रहेगा।

श्री पोन राधाकृष्णन: ठीक है, महोदया।

[हिन्दी]

श्री शेर सिंह गुबाया: अध्यक्ष जी, देश की डिफेंस के लिए जम्मू से लेकर गुजरात तक बॉर्डर के साथ-साथ फोर लेन रोड बनाने का प्रस्ताव पिछले प्लान में पास किया गया था। लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह रोड कब तक बननी शुरू होगी? इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि पंजाब में माझा और मालवा रीजन को जोड़ने वाली फिरोजपुर से पट्टी तक रोड बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ था।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह इस प्रश्न के अधीन नहीं आता है।

[हिन्दी]

श्री शेर सिंह गुबाया: उस रोड पर ब्रिज बन रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माझा और मालवा रीजन को जोड़ने वाली अमृतसर की जो फिरोजपुर और पट्टी वाली रोड है, वह कब तक बनाकर जनता को सौंपी जाएगी, जिससे लोगों को सुविधा हो सके, क्योंकि इसके न बनने से 150 किलोमीटर दूरी ज्यादा पड़ती है, इसलिए यह कब तक बन जाएगी?

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर देना चाहते हैं, तो आप उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यह इसके अधीन नहीं आता।

श्री पोन राधाकृष्णन: हम भारत माला योजना बनाने की योजना बना रहे हैं, और उस योजना में हमने देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना बनाई है। यह क्षेत्र इसके अधीन आएगा और हम इसे भी बनाएंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 347, श्री महेश गिरी - उपस्थित नहीं।

श्रीमती कविता कलवकुंतला

(प्रश्न 347)

श्रीमती कविता कलवकुंतला: महोदया, इस अवसर के लिए धन्यवाद। महोदया, जी बिल्कुल। [हिन्दी] जी.आई.एस. फ्लैट मानिटरिंग के बारे में मंत्री जी का जवाब आया है। लेकिन मैं एक और इश्यू आपके ध्यान में लाना चाहती हूं। जब 1956 में हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्य बने थे, उसी समय एक इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी बना था। [अनुवाद] इस विशेष अधिनियम की धारा 9 (क) के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार प्रत्येक नदी के आस-पास की भूमि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमि-उपयोग डेटाबैंक और सूचना प्रणाली बनाएगी। इस विशेष मुद्दे में, मैं बस माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या यह डेटा-बैंक नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। क्या सभी तटवर्ती राज्य आपको भूमि-उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं? इसके अलावा, प्रावधान यह भी है कि केन्द्रीय सरकार इस डेटा-बैंक को सत्यापित कर सकती है। [हिन्दी] क्या केन्द्र सरकार ने इस डेटा बैंक के बारे में कभी वेरीफाई किया है? [अनुवाद] आपने यह डाटा-बैंक आखिरी बार कब सत्यापित किया था?

[हिन्दी]

सुश्री उमा भारती :माननीय अध्यक्ष महोदया, यह जो सवाल है, इसका हमारे विभाग द्वारा जितना उत्तर दिया जा सकता था, जो बाढ़ से सम्बन्धित था, वह हमने सभा के पटल पर रखा है। माननीय सदस्या ने जो सवाल किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें उन्होंने एक जानकारी ऐसी मांगी है जो मूलतः इस प्रश्न के दायरे में थी नहीं, लेकिन उनका आधिकार है प्रश्न पूछने का। मुझे इसी प्रश्न से सम्बन्धित एक बात कहनी है। इस प्रश्न में ज्योलॉजिकल इंफार्मेशन सिस्टम की बात आई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को और माननीय सभा को अवगत कराना चाहती हूं कि जी.आई.एस. में आज तक एक चीज नहीं आ पाई है कि दिल्ली की सड़कों पर अचानक बाइकर्स आ जाते हैं, मोटरसाइकल्स पर। पांच-सात मिनट हंगामा करते हैं, दोनों तरफ लोग काफी संख्या में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे उनको रोक नहीं पाते हैं। वे सभी को डिस्टर्ब करके और सभी का टाइम खराब करके चले जाते हैं। लेकिन उनको दण्ड देने का कोई प्रावधान भी

नहीं होता है। अध्यक्ष महोदया, इस सभा में भी वैसी ही स्थिति बनती है। अचानक पांच-सात मिनट के लिए हंगामा होता है। पूरे सभा का और पूरे देश का समय खराब होता है और उसके बाद वे बाहर भी चले जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आज ही बाहर गए हैं।

सुश्री उमा भारती :हमारे जीआईएस सिस्टम में अभी तक इस तरह की इनफोर्मेशन का सिस्टम नहीं है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बाकी माननीय सदस्या ने जो जानकारी मांगी है, चूंकि सवाल मलतः बाढ़ से संबंधित था और हमारे पास हर प्रकार का डेटा मौजूद है और वह जो भी जानकारी चाहेंगी, हम उनके पास भिजवा देंगे।

श्रीमती कविता कलवकुंतला :अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है भारत सरकार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों राज्यों के आधिकारियों को बुला कर, [अनुवाद] पहली बार जल संसाधन मंत्री ने बैठक आयोजित की थी। [हिन्दी] वर्ष 2015-16 का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच का वॉटर शेयरिंग आपकी उस मीटिंग में पीसफुल्ली रिज़ोल्व हो गया था। इसी संबंध में मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारा आपके पास एक परपोज़ल पैंडिंग पड़ा है जो कृष्णा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल नंबर-2 है, उसमें तेलंगाना राज्य की सुनवायी करवाने, क्योंकि यह राज्य बना है और ऐसा प्रिसीडेंट भी है कि जब वर्ष 1956 में नये राज्यों का गठन हुआ था तो रिवर वॉटर के डिस्पयूट्स आने ही थे तो उसका गठन हुआ था। इसलिए आप हमारे तेलंगाना राज्य के सुनवायी करने के लिए प्रावधान कीजिए। वह फाइल एक साल से पैंडिंग है। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी इस मामले में आपसे बहुत बार विनती की थी।

सुश्री उमा भारती :अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या बहुत ही विद्वान और विदुषी महिला है और बिलकुल योग्यतम जनप्रतिनिधि है। उन्होंने जो यह बात कही है कि हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कुछ बातें ऐसी भी थीं जो हम ट्रिब्यूनल के बीच में बैठकर सुलझा सकते थे। उसमें एक बार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री मेरे आग्रह पर बैठे और भगवान की दया ऐसी है कि वे पुराने मित्र भी रहे हैं। इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के

मुख्यमंत्रीगण हैं, वे आपस में भी कुछ मसलों को सुलझा सके। तेलंगाना के बनने के बाद से लेकर माननीय सदस्या और तेलंगाना के माननीय सांसदगण जिन बातों को उठाते रहे हैं, हमारे मंत्रालय ने पूरी गम्भीरता के साथ और तेलंगाना के प्रति पूर्ण स्नेह के साथ उनका समाधान करने का प्रयास किया है। उन्होंने अभी जो सवाल किया है, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहती हूं कि वे इस बात को वह निश्चित रूप से एक वर्ष से कह रही हैं और मेरी तरफ से एक सिन्सियर अटैम्प्ट भी होता है कि ट्रिब्यूनल के दायरे से बाहर अगर कोई बात हम आपस में बैठकर और हमारे आधिकारीगण सुलझा सकते हैं तो वह सुलझा देंगे। मैं इसके बारे में भी पूरा प्रयास करूंगी।

श्री रत्न लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी इस बात का आकलन किया गया है कि देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आने पर या ग्लेशियर पिघलने से जो तबाही होती है, उससे देश को कितनी सम्पत्ति की हानि उठानी पड़ती है? यदि डिपार्टमेंट हानि की बजाय बाढ़ रोकथाम मेनेजमेंट करे तो उससे सौ गुना कम राशि उन कार्यों के लिए लगा दे तो राष्ट्र की सम्पत्ति को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग ने इस दिशा में कोई कदम उठाए हैं?

सुश्री उमा भारती :अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सवाल एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर है। जो बाढ़ से हानि होती है, उसका आकलन करने का कार्य हमारे विभाग का नहीं है कि कितनी आर्थिक और जन हानि हुई है। यह कार्य अन्य संबंधित मंत्रालयों का है। लेकिन उनका जो दूसरा प्रश्न है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ और जम्मू-कश्मीर में क्रमशः दो सालों में जो ट्रेजिडी हुई, उसके बाद से हमारा विभाग बहुत चिंतित हुआ है और हमने इस बारे में अभी दो बैठकें की हैं। जिसमें हमने नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट डिपार्टमेंट को भी बुलाया था। जम्म-कश्मीर, उत्तराखण्ड और नॉर्थ-ईस्ट राज्य और जो संवेदनशील राज्य हैं, जो अप्रत्याशित तरीके से बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हो जाते हैं, उन राज्यों के लिए हमने मिलजुल कर के, जो माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में जिस प्रकार की

ट्रेजेडी हुई, जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार की ट्रेजेडी हुई और बाढ़ की जो अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगी हैं, इस दृष्टि से पहले से ही हम इन राज्यों को संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में बता सकें, ताकि उन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वे इस बात के लिए सजग रहें कि इतनी मात्रा में पानी बरसने के बाद वहां पर स्थापित जो जलाशय हैं, वे भर चुके होंगे और अब कभी भी वहां की आबादी उनसे प्रभावित हो सकती है, ताकि वे चेतावनी दे सकें, लोगों को हटा सकें या धनहानि को रोकने का कोई उपाय निकाल सकें, वह काम हम कर रहे हैं और उसमें हम सफलतापूर्वक बहुत आगे बढ़ गये हैं। दो-तीन महीने के अंदर ही हम सारे संबंधित राज्यों को वह सूचना देने वाले हैं। मैंने स्वयं इसकी बहुत चिंता की, क्योंकि उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की जो त्रासदी हुई, उसे मैंने देखा था और मैं यह नहीं कहूंगी कि हम आपदा की पूर्व सूचना दे सकते हैं। लेकिन हम यह बता सकते हैं कि अमुक जलाशय में इतना पानी भरने के बाद वह आपदा का कारक बन सकता है और यह सूचना हमने देने की तैयारी कर ली हैं, कुछ जगहों पर हमने सूचना दे भी दी है, ताकि धनहानि भले ही न रूके कम से कम जनहानि तो रूक जाए, इतनी व्यवस्था हमारा विभाग जरूर करेगा, बहुत जल्दी करेगा और अगले किसी प्रश्न में मैं माननीय सभा को आपके माध्यम से सूचना भी दूंगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया, 12 बज गये हैं।

… (*व्यवधान*)

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 348 से 362

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140)

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मैंने एडजर्नमैन्ट मोशन दिया है, हिमाचल से जो सियाल नदी आती है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चंदूमाजरा जी, अब कुछ भी नहीं हो सकता।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेशनल लीगल सर्विसिज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लीगल सर्विसिज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3118/16/15]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : महोदया, मैं खाद्य निगम आधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारिवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 29 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या ईपी.36(1)/2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 3119/16/15]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,1994 की धारा 34 के अंतर्गत गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2015 जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र मेंअधिसूचना सं. सा.का.नि.60(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3120/16/15]

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3121/16/15]

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3122/16/15]

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3123/16/15]

(9) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर के वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर के वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3124/16/15]

(11) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 और वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013और वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3125/16/15]

(13) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2012-2013और वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्ट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2012-2013और वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3126/16/15]

[हिन्दी]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह]: महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) हज समिति ऑफ इंडिया के वर्ष 2014-2015 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हज समिति ऑफ इंडिया के वर्ष 2014-2015 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3127/16/15]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) --

(एक) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3128/16/15]

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष, 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3129/16/15]

(2) राष्ट्रीय जूट बोर्ड आधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी आधिसूचना संख्या का.आ.1675(अ) जो 23 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय जूट बोर्ड को 29 सितम्बर, 2014 से दो वर्ष की समयावधि के लिए पुनगरठित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3130/16/15]

(3) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग आनिवार्य प्रयोग) आधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत आधिसूचना संख्या का.आ.1676(अ) जो 23 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जूट पैकेज सामग्री को वर्ष 2014-2015 के लिए अर्थात 30.6.2015 तक आधिसूचना में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशतता में आपूर्ति या वितरण हेतु आनिवार्य किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3131/16/15]

[अनुवाद]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 के साथ पठित धारा 5क की उप-धारा (2) और (3) के अधीन जारी अधिसूचना सं का.आ.3111(अ) जो10दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड नियम, 2013 के नियम 3 में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दीतथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3132/16/15]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3133/16/15]

(3) (एक) ब्यूरो ऑफ एनेर्जी एफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनेर्जी एफिसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3134/16/15]

(5) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3135/16/15]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3136/16/15]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कमराजर लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3137/16/15]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.393(अ) जो 11 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशितहुए थे तथा जिनके द्वारा मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता औरपदोन्नति) संशोधन विनियम, 2014 को अनुमोदित किया गया है।

(दो) सा.का.नि.626(अ) जो 29 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशितहुए थे तथा जिनके द्वारा मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता औरपदोन्नति) संशोधन विनियम, 2014 को अनुमोदित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 243(ई) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) चौथे संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3138/16/15]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 891(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 500 (अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमंद से भीलवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 435(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ.. 1756(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.844(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तथा जिसके द्वारा 23 मई, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ.1338(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पाँच) का.आ.786(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33और 6 के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छः) का.आ.669(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोबरसा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 953(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (आई.टी.आई. मोड चास से चारगी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 952(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31डी के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1068 (अ) जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद सेबरवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ.948(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 (महेश खुंट सोनबरसा-राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1067 (अ) जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23(चास-बोकारो-गोला-रामगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1273(अ) जो 13 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (बरही-हजारीबागखण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1046 (अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद सेबरवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1066 (अ) जो 23 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद सेबरवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ.1195 (अ) जो 6 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107(महेश खुंट सोनबरसा-राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ.785(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1675(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ. 1325 (अ) जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27जनवरी, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.251(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ.659(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 440(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 1091 (अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद सेबरवा-अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1264(अ) जो 12 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वडोदरा-मुबई एक्सप्रेस (वडोदरा मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ.791(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ.667(अ) जो 4मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 961(अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ.751(अ) जो 13 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1263(अ) जो 12 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वडोदरा-मुबई एक्सप्रेस (वडोदरा मुंबई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ.766(अ) जो 16 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ.672(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ङ(भावनगर खंडका भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ.670(अ) जो 4 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ङ (भावनगर खंडका भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 784(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ.793(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ङ (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ.792(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ङ (गिर सोमनाथ खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 788(अ) जो 18 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ.519 (अ) जो 16 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 ङ (गिर सोमनाथ खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 959 (अ) जो 7 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 (फलोडी- जैसलमेर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ.958(अ) जो 7अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ.1193(अ) जो 6 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (भीलवाड़ा से लाडपुरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ.708(अ) जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 112(जोधपुर-बाड़मेर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1043(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11क (दौसा-मनोहरपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 1131(अ) जो 29अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (भीलवाड़ा सेलाडपुरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चालीस) का.आ.1239(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ.648(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (राजगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ.668 (अ) जो 4मार्च, 2015के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (भीलवाड़ा सेलाडपुरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ.261(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (भीलवाड़ा से लाडपुरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 1042(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11क (दौसा-लालसोट-कोथुन खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1044(अ) जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11क (दौसा-लालसोट-कोथुन खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ.1090(अ) जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 123 (ऊंचानागला-धौलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 585(अ) जो 20 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 364 (अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (सालासर से नागौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ.1236(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 392(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758(राजसमन्द-भीलवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ.1241(अ) जो 8 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 123 (ऊंचा नांगला-धौलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ.1271(अ) जो 13मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 8 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3071(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तैंतालीस) का.आ. 563 (अ) जो 18 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (सालासर से नागौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ.246(अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65(सालासर-फतेहपुर-अंबाला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी . 3139/16/15]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 31.3.2015 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड इक्विटी शेयरधारकों को आई.आई.बी.आई. का स्वैच्छिक परिसमापन कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 31.3.2015 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड इक्विटी शेयरधारकों को आई.आई.बी.आई. का स्वैच्छिक परिसमापन कोलकाता का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3140/16/15]

(2) भारतीय कुटीर उद्योग विकास बोर्ड अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3)के अंतर्गत भारतीय कुटीर उद्योग विकास बोर्ड (कर्मचारी) (संशोधन) विनियम,2015 जो 22 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एच.आर.वी. सं. 1231/स्टाफ जनरल (2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3141/16/15]

(3) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम,2015 की धारा 86 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1790 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015के आरंभ होने की प्रभावी तारीख में संशोधन करने वाला आदेश अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याखात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3142/16/15]

(4) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम,2015 की धारा 63 की उपधारा (59) और उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1791 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्तियों केसंबंध में घोषणा किए जाने अथवा उसके पूर्व की तारीख तथा इस प्रकार घोषित भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्तियों के लिए व्यक्ति द्वारा कर और शस्ति की संदायगी किए जाने अथवा उसके पूर्व की तारीख को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3143/16/15]

(5) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम,2015 की धारा 85 की उपधारा (4) के अंतर्गत काला धना (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण नियम, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.529 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3144/16/15]

(6) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 54 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2015 जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

डी.जी.बी.ए./एकाउंट/बी.ए. ए.एस. सं.18/62-01.022/2015-16 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3145/16/15]

(7) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 22अगस्त,2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 611(अ) मेंप्रकाशित हुए थे।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) तीसरा संशोधन नियम, 2014 जो 19 नवम्बर,2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 819(अ) मेंप्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3146/16/15]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 26क, प्रतिभूतिसंविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम,1996 की धारा 22ग के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.1618(अ] जो17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा न्यायालयसंख्या 22, सिटी सिविल और सत्र न्यायालय मुंबई को भारतीय प्रतिभूति और विनिमयबोर्ड, 1992 की धारा 11ग में उल्लिखित प्रयोजनों से नामित न्यायालय के रूप में तथाविशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजीसंस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3147/16/15]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 26क, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 22ग के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 1784 (अ) जो 1 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रधान जिला और सत्र न्यायालय, चेन्नई को उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन विशेष न्यायालय नामित किया गया है।

(दो) का.आ.1132(अ) जो 11अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 विशेष न्यायालय, कलकत्ता को उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन विशेष न्यायालय नामित किया गया है।

(तीन) का.आ.1060 (अ) जो 21 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनचालिसवा सत्र न्यायालय, सिटी सिविल कोर्ट बृहत्त मुंबई को उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन विशेष न्यायालय नामित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3148/16/15]

(10) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रक्रिया तथा निर्णयन अधिकारी द्वारा शास्तियां अध्यारोपित किया जाना) संशोधन नियम, 2015 जो 28 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि..430 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3149/16/15]

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11ग की उपधारा (8)के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 678 (अ) जो 5 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कोर्ट संख्या 39 सिटी सिविल कोर्ट, मुंबईको उक्त अधिनियम की उक्त धारा में यथावर्णित प्रयोजनों के लिए नामित न्यायालय के रूप में पदाभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3150/16/15]

(12) प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 1 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2287(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 सितम्बर, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा 6 से 15, धारा 25 से 32 और धारा 41 से 47 के उपबंधों के लागू होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3151/16/15]

(13) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) अधिसूचना सं. 63/2015-सीमा शुल्क(एन.टी.) जो 18 जून, 2015 केभारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित मालके निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा मेंअथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना सं. 52/2015-सीमा शुल्क(एन.टी.) जो 4 जून, 2015 केभारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित मालके निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा मेंअथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना सं. 68/2015-सीमा शुल्क (एन.टी.) जो 16 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ

कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना सं. 66/2015-सीमा शुल्क (एन.टी.) जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3152/16/15]

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित दो संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2015, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 अगस्त, 2015 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 अगस्त, 2015 की बैठक में पारितकिया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.03 ½बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): मैं चालू सत्र के दौरान हुई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बारहवीं से चौदहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

प्राक्कलन समिति

नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर) : महोदया, मैं कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'ऑर्गेनिक कृषि संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' विषय पर प्राक्कलन समिति (2015-16) का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

<u>अपराह्न 12.04 ½ बजे</u>

लोक लेखा समिति

21वें से 24वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं लोक लेखा समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) वर्ष 2011-12 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्यांक 7 पर आधारित "भारतीय तटरक्षक की भूमिका एवं प्रकार्य " विषयक 21वां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2013 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्यांक 19 के पैरा 6.3 पर आधारित "केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए एलोपैथिक औषधियों की अधिप्राप्ति" विषयक 22वां प्रतिवेदन।

(3) वर्ष 2014 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्यांक 11 पर आधारित 'भारतीय सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आई.सी.ई.एस. 1.5)" विषयक 23वां प्रतिवेदन।

(4) "सहायतानुदान और राजसहायता वस्तुशीर्ष के प्रावधानों में वृद्धि" विषयक समिति के 83वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 ½ बजे

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ –

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार में आरक्षण और कल्याणकारी उपाय" पर दूसरा प्रतिवेदन।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित "चिकित्सा संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू की जा रही आरक्षण नीति की समीक्षा" पर तीसरा प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
10वां और 11वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल): महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्निलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ -

1. "सीमाओं पर आक्रमण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ समन्वय और सड़क, वायु तथा रेल मार्ग से सीमा संपर्क एवं सैन्य बलों का संकट अवबोध तथा तैयारी " के बारे मे समिति के 22वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।
2. थल सेना (मार्ग संख्या 22) पर रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाई के बारे में रक्षा संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 ½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़) : महोदया, मैं "इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और जैव डीजल नीति "विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का सातवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.06 ¾ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'गत पाँच वर्षों के दौरान बड़ी रेल दुर्घटनाएं---कारण और उपचारात्मक उपाय ' विषयक रेल संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन (15 वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई |

(2) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं पर विशेष बल देते हुए चालू और लंबित रेल परियोजनाएं' विषयक समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराह्न 12.07 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

270वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड): मैं राष्ट्रीय क्रीड़ा विकास निधि का कार्यनिष्पादन और खिलाड़ियों की भर्ती तथा उनका प्रोन्नयन भाग-1' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 270वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

<u>अपराह्न 12.07 ½ बजे</u>

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

11वें से 16वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित "डाक विभाग में कारोबार विकास और विपणन रणनीति' विषय पर 11वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित ' पेड न्यूज से संबंधित मुद्दे' विषय पर समिति के 47वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित "दूससंचार टॉवरों की स्थापना हेतु मानदंड, इनके दुष्प्रभाव तथा दूरसंचार सुविधाओं के प्रसार में सुरक्षा मानकों की स्थापना" विषय पर समिति के 53वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) पर समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(5) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) पर समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वाराकी-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

88वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): महोदया, मैं "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) का कार्यकरण" विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 88वां प्रतिवदेन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः अब मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा। क्रमांक 24, श्रीमती उमा भारती जी।

[हिन्दी]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) : अध्यक्ष महोदया, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। आगे संभावना भी नहीं है, मैंने सन्यास ले लिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सॉरी, सॉरी, सुश्री ऊमा भारती।

... (व्यवधान)

सुश्री उमा भारती : अध्यक्ष महोदया, अब आप नहीं करवा पाएंगी, मैंने सन्यास ले लिया है, नो वैकेंसी का टैग लग गया है। ...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 ½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जल-संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। *

[हिन्दी]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) : महोदया, मैं जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ।

अपराह्न 12.09 बजे

[अनुवाद]

(दो) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एलटी 3153/16/15 और 3154/16/15

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदया, आपकी अनुमति से मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.09 ½ बजे

(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत व्यापार संवर्धन संगठन का कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 114वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 116वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत व्यापार संवर्धन संगठन का कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 114वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 116वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखती हूँ।

अपराह्न 12.10 बजे

(चार) परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 211वें और 216वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमश:संख्या एल.टी. 3155/16/15, 3156/16/15 और 3157/16/15

[अनुवाद]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं इस संबंध में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(i) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली में विभिन्न स्मारकों, राष्ट्रीय संग्रहालय के रखरखाव और अन्य महत्वपूर्ण विषयों' पर परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 211वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(ii) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली में विभिन्न स्मारकों, राष्ट्रीय संग्रहालयका रखरखाव तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों' पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृतिसंबंधी स्थायी समिति के 211वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 216वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.11 बजे

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

[अनुवाद]

(एक) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015*

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 13.08.2015 में प्रका शत।

** राष्ट्रपति की सफारिश से पुर:स्था पत।

<u>अपराह्न 12.11 ½ बजे</u>

(दो) भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयंत सिन्हा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 13.08.2015 में प्रका शत।

अपराह्न 12.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा के पटल पर रखे जाएंगे। सदस्यगण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभा में उठाए जाने वाले मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

(एक) मामलों के त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : भारत विश्व में दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। स्वाभाविक है कि देश के न्यायालयों में करोड़ों की संख्या में मामले होंगे और रोज लाखों मामले आएंगे भी। वर्तमान में कुल लंबित प्रकरणों की संख्या 3 करोड़ 30 लाख है जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों में 2 करोड़ 80 लाख तथा उच्च न्यायालयों में 44 लाख प्रकरण विचाराधीन हैं। गंभीर प्रश्न यह है कि इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए हम क्या कर रहे हैं।

वर्तमान में जहाँ न्यायालयों में न केवल वादों की संख्या बढ़ रही है बल्कि नए-नए प्रकार के वाद भी सामने आ रहे हैं। देश में आर्थिक अपराधों के साथ-साथ साइबर क्राइम, महिला अपराधों तथा विशेष प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विषय विशेषज्ञता के अभाव में न केवल केस लंबे समय तक चलता है आपितु गुणवत्तापूर्वक फैसला भी नहीं आ पाता। हमारी न्याय व्यवस्था में प्रोफैशनेलिज्म की भारी कमी है। आज चिकित्सा, आभियांत्रिकी आदि सभी क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमें जब आँख का

*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

इलाज कराना होता है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हृदय संबंधी रोज होने पर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है लेकिन हमारे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि मेडिकल से संबंधित प्रकरण कोर्ट में जाता है तो जज व वकील दोनों को ही बहुत अध्ययन करना पड़ता है जिसमें समय व गुणवत्ता दोनों पर ही असर पड़ सकता है।

अब समय आ गया है कि विशेष केसों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए। उन विषय विशेष कोर्ट में सरकारी पक्ष रखने के लिए उन विषयों से संबंधित विशेषज्ञ, आधिवक्ता तथा विशेष कर्मचारी होने से इन केसों के निपटान में गुणवत्ता के साथ-साथ तेजी भी आएगी। इसी तर्ज पर सरकार कमर्शियल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान करने जा रही है। जजों की नियुक्ति भी विशेष विशेषज्ञता को ध्यान मेंरखकर करने की आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अन्य विशेष प्रकार के अपराधों व प्रकरणों की सुनवाई के लिए विषय विशेषज्ञ, कोर्ट विशेषज्ञ, सरकारी वकील व विशेषज्ञ कोर्ट स्टाफ की भी भर्ती की जाए तथा उन्हें समय-समय पर उचित ट्रेनिंग दी जाए। इससे न केवल प्रकरणों का जल्दी फैसला होगा बल्कि गुणवत्तापूर्वक न्याय मिलना भी आसान हो जाएगा। इसकी शुरूआत देश के सभी न्यायालयों में सिविल, क्रिमिनल व कामर्शियल कोर्ट की स्थापना के माध्यम से की जा सकती है।

(दो) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): भोजपुरी भाषा भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली एक बेहद लोकप्रिय भाषा है। पूरे विश्व में भोजपुरी जानने वालों की संख्या 5 करोड़ से आधिक है। भारत में मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर (बिहार) के अंतर्गत पड़ने वाले पूर्वी चम्पारण जिले सहित पूरे पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी झारखण्ड में भोजपुरी भाषा प्रमुख भाषा के रूप में जानी जाती है। भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग साढ़े तीन करोड़ भोजपुरी भाषी हैं। भोजपुरी समाज देश निर्माण एवं कला-संस्कृति को हमेशा बढ़ाते रहे हैं। परंतु अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इतनी लोकप्रिय भाषा भोजपुरी को अभी तक संविधान की आठवीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह एक सवरविदित तथ्य है कि पिछली यूपीए सरकार ने भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने का आश्वासन दिया था, परंतु आश्वासन देने के बावजूद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब जबकि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई है तो सभी भोजपुरी भाषी को यह विश्वास हो चला है कि 50 वर्षों से भी आधिक पुरानी मांग को मानते हुए भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के लिए आविलम्ब समुचित कदम उठाए जाएं ताकि भोजपुरी समाज गर्वित महसूस कर सके।

(तीन) मैट्रिमोनियल वेबसाईट्स के लिए नियम एवं विनियम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : वर्षों पहले शादी-ब्याह वगैरह घर के बड़े लोग तय करते थे। अपने अनुभव और सामाजिक स्टेटस के हिसाब से अपने बेटे और बेटियों की शादी तय करवाते थे। पिछले कुछ समय से इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी की व्यापकता एवं पहुँच की वजह से यह पुराने रीति-रिवाज कम हो रहे हैं और बच्चे खुद ही मेट्रीमोनी वेबसाइट के माध्यम से अपने जीवन साथ को पसंद करने लगे हैं। समय के साथ यह सिस्टम अच्छा है लेकिन कुछ लोग इसका दुरूपयोग करते हुए खुद की गलत जानकारी देते हैं और शादी करते हैं जिसकी वजह से शादी के बाद निर्दोष लोग फंस जाते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसी प्राइवेट एजेंसियों के लिए कड़े कानून बनाए जाएं जिसमें अपराधी लोगों को कड़ी सजा का प्रावधान हो।

(चार) राजस्थान में विशेष रूप से सीकर, झुन्झुनू और चुरू जिलों में बावड़ियों का पुनरूद्धार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मैं सरकार का ध्यान राजस्थान विशेषकर शेखावटी क्षेत्र (सीकर, झुन्झुनू एचं चुरू जिले) में उपेक्षित पड़ी बावड़ियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात तो सवरविदित है कि राजस्थान सहित देश के आधिक भागों में भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के आधिकांश ब्लॉकों का भूजल स्तर गिरकर डार्क जोन में आ चुका है। बावड़ियाँ न केवल वर्षा जल संचयन का बहुत बड़ा स्रोत है बल्कि भूजल स्तर को सुधारने में बहुत ही सहायक है। शेखावटी के प्रत्येक शहर/कस्बे में अनेक बावड़ियाँ आज उपेषा की शिकार हैं। ये बावड़ियाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करती आई हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध हे कि उपेक्षा की शिकार शेखावटी क्षेत्र की बावड़ियों के पुनरूद्धार हेतु कोई विशेष योजना बनाई जाए जिससे न केवल वर्षा जल संचयन एवं भूजल स्तर में सुधार होगा आपितु इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(पांच) देश में सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित करने हेतु श्रमोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र पर पर्याप्त बल देते हुए आर्थिक नीति पर पुन: ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) : आज भारत प्राकृतिक आपदाओं के संकट से घिरा है। असामयिक एवं आनिश्चित तथा आति वर्षा, भूस्खलन और पर्वतों का ढहना आम होता जा रहा है। प्रकृति के कहर के आगे मानव बेबश है। परंतु वास्तविकता यह है कि मानव के कारण ही प्रकृति का कहर है। विकास के नाम पर मानव ने प्रकृति का दोहन और दुरूपयोग करने में विगत वर्षों में कोई हिचक नहीं दिखाई। एक वर्ष में सरकारों ने 35.86 प्रतिशत हेक्टेयर जंगल की भूमि को कथित विकास के नाम पर उजाड़ा है। देश का वायुमंडल, जलप्रवाह एवं वर्षा की आनिश्चितता जो मानव को जीवन देती है, आज वहीं मानव के विनाश का कारण बन गया। जब मानव ही नहीं रहेगा तो विकास कैसा और किसके लिए ? गत दो दशकों में विकास के नाम पर देश में जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे दरिद्रता तथा दीनता नहीं घट पाई। वर्ष 2013 में सरकार द्वारा 67 प्रतिशत आबादी को 1 रूपये और 2 रूपये किलो अनाज देश की आम गरीब जनता को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देने की नीति बनाई गई। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश में दरिद्रता और दीनता कम नहीं हुई।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त नीतियों में परिवर्तन कर देश की विकास दर के लिए स्वदेशी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। देश में विकास के कार्यक्रम, देश की क्षमता, दक्षता, सामर्थ्य और साधनों के आधार पर तय किया जाए। सेवा क्षेत्र और मूल्यवर्धक आर्थिक गतिविधियों के स्थान पर उत्पादन क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। श्रम प्रधान तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन देकर देश के प्रत्येक परिवार को रोजगार देने की व्यवस्था की जाए तथा दीनता व दरिद्रता को देश से देर किया जाए।

(छ:) उत्तराखंड के टिहरी जिले में डोबरा-चॉटी पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत टिहरी डैम की झील के पार प्रताप नगर, जाखनीधार, धनशाली व उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों-नागरिकों को सुविधा देने के लिए प्रस्तावित आधुनिक तकनीकी पर आधारित एशिया के दूसरे बड़े " सिंगल स्पान पुल डोबरा चॉटी " पुल के निर्माण के लिए 2006 में प्रथम निविदा जारी की गई थी। प्रस्तावित समय पर 90 करोड़ रूपए की लागत राशि से योजना शुरू हुई जिसके अब काफी बढ़ने की संभावना है। टी.एच.डी.सी. ने डोबरा चॉटी पुल के निर्माण के लिए अभी तक 132 करोड़ रूपए का भुगतान कंपनी को कर दिया है। पिछले दस वर्षों में एक अबर रूपये से ज्यादा खर्च होने के बावजूद अभी पुल भी डिजाइन परीक्षण के दौर में ही है। अभी तक आन्तिम निर्णय न होने से निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हो रही है । इस दौरान निर्माण में कई तरह की आनियमितताओं की बातें आई हैं। इस क्षेत्र के लोग पिछले कई दिनों से धरने पर बेठे हैं और क्षेत्र की जनता आक्रोशित है।

अतः से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित क्षेत्र के दो लाख से आधिक लोगों की जिन्दगी की समस्याओं को देखते हुए पुल निर्माण कार्य को शीघ्र आरंभ किया जाए तथा स्थानीय लोगों के लिए 24 घण्टे निःशुल्क मोटरबोट सुविधा उपलब्ध करायी जाएं।

(सात) राजस्थान के कोटा शहर में कुकिंग गैस की आपूर्ति हेतु पाईपलाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री ओम बिरला (कोटा) : कोटा शहर में वर्ष 2008-09 में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा घरों में पाइप के माध्यम से गैस आपूर्ति का कार्य प्रारंभ करने के लिए पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था। कंपनी का कोटा शहर के एक लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था और यह संपूर्ण परियोजना पाँच वर्षों में पूर्ण की जानी थी किन्तु गैस आपूर्ति के लिए बनाई गई यह महत्वपूर्ण परियोजना निरन्तर उपेक्षा का शिकार हो रही है और कंपनी द्वारा गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य अव्यवस्थित तरीके से किया गया है तथा पाइप लाइन में आपस में इंटर कनेक्शन भी नहीं किए गए हैं जिसके कारण शहर में केवल अब तक 191 घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं। कोटा शहर राजस्थान का एकमात्र पहला शहर है जो पीएनजी आपूर्ति के लिए चयनित किया गया था किन्तु विभागीय उदासीनता के कारण यह परियोजना लंबे समय से लंबित हो रही है। कोटा में हजारों लोगों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं लेकिन इंटर कनेक्शन न होने के कारण लोगों को कनेकशन नहीं मिल रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोटा में पाइप लाइन जल्द से जल्द बिछाकर गैस की आपूर्ति सुचारू कराई जाए।

(आठ) सफाई के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): पूरे देश में इस समय स्वच्छता आभियान चल रहा है। हमारे प्रेरणास्रोत प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए जो रणनीति बनाई है, वह अत्यन्त प्रभावशाली और सराहनीय है। स्वच्छता आभियान से देश के नागरिकों में विशेषकर बच्चों में सफाई के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा जागृत हुई है। इसी का प्रभाव है कि आज देश बहुत तेजी से खुजे में शौच करने से मुक्त हुआ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि स्कूलों, संस्थाओं, नगरपालिकाओं, नगर परिषद एवं नगर निगम इत्यादि अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन नीति बनानी चाहिए जिससे इस क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों, समूहों एवं संस्थाओं इत्यादि को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जा सके।

(नौ) सीतापुर और बहराइच को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने और इस प्रयोजन हेतु धन उपलब्ध कराए जाने कीआवश्यकता

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर (उत्तर प्रदेश) के सीतापुर-बहराइच वाया रेउसा-चहलारी मार्ग पर घाघरा नदी पर हो रहे पुल के निर्माण की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विगत 6-7 वर्षों से यह पुल निर्माणाधीन है। इस पुल के बन जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 24 से बहराइच और नेपाल देश की सीमा की दूरी लगभग 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधरनिर्मित पुल के दोनों तरफ सीतापुर-बहराइच जनपदों में दो लेन सड़क का निर्माण भी पूरा हो चुका है परंतु पुल का निर्माण न हो पाने की वजह से रास्ता चालू नहीं हो पा रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उक्त पुल के निर्माण हेतु धन आवंटित कर कार्य पूर्ण कराया जाए जिससे **'बौद्ध परिपथ'** के नाम से निर्मित होने वाला यह मार्ग बौद्ध अनुयायियों के लिए सुगमता से उपलब्ध हो सके।

(दस) वसई नगरपालिका क्षेत्र में पाईप गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिंतामन नावाशा वांगा (पालघर): मेरा पालघर लोक सभा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र मुंबई और गुजरात के बीच में पड़ता है। वसई-विरार नगर निगम, पालघर नगर परिषद और दहानू नगर परिषद् सहित बोईसर, तारापुर जैसे बड़े और विकसित गांव मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इसमें तेजी से विकास हो रहा है। इस विकास और जनसंख्या में वृद्धि के कारण मुंबई उपनगरीय रेलवे को भी दहानु सड़क तक विस्तारित किया गया है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में आता है। सरकार मुंबई और गुजरात की अन्य सभी तहसीलों में पाइप गैस की आपूर्ति कर रही है। गुजरात से वसई नगरपालिका क्षेत्र तक पाइप गैस की आपूर्ति की मांग बढ़ रही है। अतः, मैं सरकार से इस संबद्ध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवन्नमलाई): पुडुचेरी से कृष्णागरी तक पाँच जिलों तिंडीवनम, विल्लुपुरम, तिरुवन्नमलाई और कृष्णागिरी को कवर करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 66 की स्थिति बहुत दयनीय है क्योंकि यहाँ सड़क पर हर जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं। उक्त राजमार्ग से संबंधित मरम्मत कार्य को कुछ समय पहले मंजूरी दी गई थी, इस राष्ट्रीय राजमार्ग का आधा रास्ता अभी भी दयनीय स्थितिमें है और तमिलनाडु के इस हिस्से में इस राजमार्ग पर दुर्घटनाएं होना एक नियमित बात है। हालांकि यह मामला कई बार उठाया जा चुका है लेकिन मरम्मत का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग 66 की मरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू करने और इसे समयबद्ध आधार पर पूरा करने का निर्देश दे।

(बारह) मुल्लापेरियार बांध में जलस्तर बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री के.एन. रामचन्द्रन (श्रीपेरम्बुदुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुल्लापेरियार बांध का संचालन तमिलनाडु और केरल राज्यों के बीच हस्ताक्षरित पट्टा समझौते के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जा रहा है।

मुल्लापेरियार नदी तमिलनाडु के थेनी, मदुरै, शिवगंगा और रामनाड जिलों में रहने वाले लोगों की जीवन रेखा है। चूंकि यह बांध बहुत सुरक्षित है और इसमें अधिक पानी सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार बांध में जलस्तर को 136 फीट से बढ़ाकर 142 फीट करने का अनुरोध करती है। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी मई 2014 में अपनी सहमति व्यक्त की थी।

हमारे मुख्यमंत्री के अनुरोध के आधार पर, जून 2014 में, भारत सरकार ने जलस्तर को 142 फीट तक बढ़ाने के लिए एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया। पर्यवेक्षी समिति ने भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्णय लिया तथा इसका पालन करते हुए जलस्तर को 142 फीट तक बढ़ा दिया।

चूंकि केरल राज्य बांध के जलस्तर को बढ़ाए जाने का विरोध कर रहा था, इसलिए बांध के अंदर और आसपास आंदोलन चल रहे थे। वर्तमान में केरल पुलिस द्वारा इस बांध की सुरक्षा की जा रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बांध और उससे जुड़ी संरचनाओं को खतरा हो सकता है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि बांध की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की जानी चाहिए। 7 अगस्त 2015 को माननीय प्रधान मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह मांग की थी।

अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुल्लापेरियार बांध और उससे संबंधित संरचनाओं की सुरक्षा के लिए केरल पुलिस के स्थान पर तुरंत सी.आई.एस.एफ. कर्मियों को तैनात किया जाए।

(तेरह) मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम 19वीं सदी के मुम्बई के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद, श्री जगन्नाथ शंकरशेट के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : मुम्बई के शिल्पकार नाम से प्रसिद्ध नामदार जगन्नाथ शंकरशेट 19वीं सदी में एक बड़े समाज सुधारक हुए हैं। इन्हें नाना जी के नाम से भी पहचाना जाता रहा है। इन्होंन मुम्बई में शैक्षणिक तथा सामाजिक विकास के कार्यों में बहुत बड़ा योगदान किया है। नाना जी ने मुम्बई में रेल सेवा आरंभ करने हेतु 1843 में ग्रेट वेस्टर्न रेल कंपनी स्थापित की और उपर्युक्त स्थान न मिलने के कारण कंपनी का कार्यालय अपने ही घर में शुरू किया। इसके आतिरिक्त नानाजी ने बोम्बे नेटिव्हस स्कूल, एलफिन्स्टन कालेज, ग्रेट मेडिकल कालेज, रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी जैसी प्रसिद्ध संस्थाएं स्थापित की थीं। एक तरह से यह मुम्बई के शिल्पकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। नानाजी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत में इन्हें " कोर्ट ऑफ आर्म " उपाधि से सम्मानित किया गया था।

मुम्बई के सामाजिक सुधारों के लिए जिन्होंने अपने तन-मन-धन से विकास कार्यों में अपना सब कुछ आर्पित किया, ऐसे महान दृष्टा नामदार जगन्नाथ शंकरशेट को आने वाली पीढ़ियां याद करें। इस हेतु मेरा सभा के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मुम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर इस महान शिल्पकार और समाज सुधारक के नाम पर " जगन्नाथ शंकरशेट स्टेशन " रखा जाए। यह नाना जी को सभी की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

(चौदह) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 50 और 56 में विसंगतियों को दूर किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): यदि किन्हीं दो पक्षों के साथ न्याय करना है, तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए; दोनों पक्षों के लिए मानदंड अलग-अलग नहीं हो सकते। लेकिन बाकी के आंध्र प्रदेश राज्य के साथ ऐसा ही हो रहा है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद संपत्तियों का विभाजन भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया है और देनदारी का बंटवारा जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 50भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आंध्र प्रदेश में स्थित संपत्ति पर करों या शुल्कों के बकाया, जिसमें भू-राजस्व का बकाया भी शामिल है, को वसूलने का अधिकार देती है, तथा धारा 56 में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश की देनदारियां जनसंख्या अनुपात के आधार पर संपत्ति पर किसी भी कर अथवा शुल्क को वापस करने की है। यह दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। इसका मानदंड या तो भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। अलग-अलग मानदंड लागू करने से, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर परिसंपत्तियों और जनसंख्या के आधार पर देनदारियों के आवंटन के कारण आंध्र प्रदेश को 3,800 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। चूँकि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या तेलंगाना से अधिक है, इसलिए वहां के लोगों को अधिक देनदारियाँ चुकानी पड़ती हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच राजस्व की समान हिस्सेदारी प्रदान करने के लिए आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 50 और 56 में संशोधन करने के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखा है क्योंकि उपरोक्त धाराओं में सिद्धांतों को समान रूप से लागू नहीं किया गया है तथा समानता और निष्पक्षता के मानदंडों को लागू करने में भी

विफलता मिली है। इससे आंध्र प्रदेश को 3,800 करोड़ रुपये के कर बकाया में से अपना हिस्सा मिलने से वंचित होना पड़ा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में तुरंत संशोधन करने और आंध्र प्रदेश के साथ न्याय करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, सामान्य तौर पर हम अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा पसंद करते हैं, जैसे विमानवाहनअधिनियम, 1972 में और संशोधित करने वाला विधेयक, जिसके लिए समय आवंटित किया गया है, तथा भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015। आज सत्र का आखिरी दिन है तो मेरा विचार है कि हम आज ज्यादा काम करें और अपने देशवासियों को दिखाएं कि संसद महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधायी कार्य भी कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश, मुख्य विपक्षी दल के हमारे सांसदों ने किसी न किसी बहाने से सभा से बाहर जाने का विकल्प चुना है। इसलिए, मैं आज कोई विधायी कार्य नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि सत्र सुखद तरीके से समाप्त हो। इसलिए, मैं अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि हम संसद के अगले सत्र में इस विधायी कार्य को उठाएंगे।

<u>अपराह्न 12.14 बजे</u>

विदाई संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का पांचवां सत्र, जो 21जुलाई, 2015 को आरम्भ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान, कुल 17 बैठकें हुईं, जो 47 घंटे और 27 मिनट तक चलीं।

इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गये। वर्ष 2015-16 के लिए अनुदानों की अनुपूरक माँगों (सामान्य) पर चर्चा 2 घंटे 10 मिनट तक चली, जिसके बाद इन्हें स्वीकृत किया गया एवं संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

4 अगस्त, 2015 को वर्ष 2012-13 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) पर चर्चा हुई। इस पर 2 घंटे 40 मिनट तक वाद-विवाद हुआ। जिसके बाद मांगों को स्वीकृत किया गया तथा विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सत्र के दौरान 10 विधेयक पुर:स्थापित किये गये तथा 6 विधेयक पारित किये गये।

सत्र के दौरान, 360 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 48 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 2.82 प्रश्नों के उत्तर दिये गये। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सहित 4370 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्न काल के पश्चात् और सायं देर तक चली बैठकों में सदस्यों द्वार अविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 253 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 195 मामले भी उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा को 46 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

एक भगोड़े की सहायता करने में एक केन्द्रीय मंत्री की संलिप्तता और स्वीकारोक्ति संबंधित कृत्यों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए रुख के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस पर चार घंटे और 47 मिनट तक चर्चा हुई और यह स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभा में नियम 193 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय अर्थात् संधारणीय विकास लक्ष्य पर एक अल्पकालिक चर्चा हुई। यह चर्चा अपूर्ण रही।

सत्र के दौरान कर्नाटक में सूखे और बाढ़ की स्थिति के परिणामस्वरूप किसानों की आत्महत्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से एक मामला उठाया गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्री ने वक्तव्य दिया और सदस्य श्री बी.एस. येदियुरप्पा द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के उत्तर भी दिए।

मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 46 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में चार वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1,042 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, विभिन्न विषयों से संबंधित गैर-सरकारी सदस्यों के 45 विधेयक सत्र के दौरान पुरःस्थापित किए गए। लोक सभा या विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जब भी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने पर प्रत्येक नागरिक द्वारा अनिवार्य मतदान किए जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा 13 मार्च, 2015 को प्रस्ताव पेश किया गया था जिस पर पिछले सत्र के दौरान 24अप्रैल और 8 मई, 2015 को चर्चा हुई थी। इस सत्र के दौरान इस पर 7 अगस्त, 2015 को पुन: चर्चा हुई और यह चर्चा अपूर्ण रही।

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने के संबंध में श्री निशिकांत दुबे द्वारा20 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किए संकल्प पर 31 जुलाई, 2015 को आगे चर्चा हुई और यह चर्चा अधूरी रही।

इस सत्र में जहां व्यवधानों और बाध्य स्थगनों के कारण हमने 34 घंटे 04 मिनट से अधिक का समय गंवाया, वहीं सभा नष्ट हुए समय की क्षतिपूर्ति के लिए 5 घंटे 27 मिनट देर तक बैठी। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूं।

माननीय सदस्यगण, मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूं। जब से सत्र आरंभ हुआ, कुछ सदस्य सभा में आसन के नजदीक आते रहे और सभा की कार्यवाही में बाधा डालते रहे। मैंने उनसे प्लेकार्डस न दिखाने और सभा में आसन के नजदीक न आने का अनुरोध किया। हालांकि उन्हें अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार है लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है।

चूंकि निरंतर व्यवधानों के कारण सभा में कोई कार्य नहीं हो पाया इसलिए मैंने 30 जुलाई, 2015 को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों से अनुरोध किया कि वे अध्यक्ष के आसन के निकट न आए और प्लेकार्डस प्रदर्शित न करें। मैंने नेताओं से पुरजोर यह बात भी कही कि संसदीय प्रणाली में हर मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है और समाधान निकाला जा सकता है। किंतु चूंकि सदस्य लगातार कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे इसलिए मुझे कुछ सदस्यों को 3 अगस्त, 2015 को 5 दिन के लिए सभा की सेवा से निलंबित करना पड़ा। आप इस बात को अवश्य समझेंगे कि मुझे इस प्रकार की सख्त कार्रवाई एक अंतिम उपाय और अंतिम विकल्प के रूप में करनी पड़ी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में ऐसा कदम उठाने के लिए अध्यक्षपीठ को बाध्य नहीं किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, मैं गर्व से यह बात कहती हूं कि वर्तमान लोक सभा के दौरान हमने उच्च मानकों के मानदंड स्थापित किए हैं और उत्पादकता अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक रहा हमने यह उपलब्धि गत सत्र के दौरान हासिल की थी। पिछले सत्र में भी हमने यह उपलब्धि दिखायी थी। लेकिन वर्तमान सत्र में

मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि व्यवधानों के कारण हमारा 34 घंटे का समय बर्बाद हो गया यद्यपि हमने देर तक बैठक कर भी कार्य निपटाया।

मुझे विश्वास है कि आगामी सत्रों में हम बेहतर तथा और अधिक कार्य करना जारी रखेंगे।

मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने साथियों का सभा के सुचारू कार्य संचालन में यथासंभव सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीयकार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, मुख्य सचेतकों तथा माननीय सदस्यों की उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के हमारे मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए उनका भी धन्यवाद देती हूं।

इस अवसर पर मैं हमारे देश के 69वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देती हूं।

माननीय सदस्यगण खड़े हो जाएं , अब *वन्दे मातरम* की धुन बजाई जाएगी।

<u>अपराह्न 12.22 बजे</u>

<u>राष्ट्रगीत</u>

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

माननीय अध्यक्ष: सभा *अनिश्चित काल के लिए* स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 12.23 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित